की पालना में दिनांक ... 6-8-18
का पत्र है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2018

पिता लाल S/o औरिया
बनाम
करतारसिंह S/o श्री गगा

28-6-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत

में एक कोई अवार्ड के मामले आए है। लिखकर
जमा कराया। पत्रावली एवं पत्रावली
पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया
गया। प्रार्थीगण का वाद अधिघोषणा एवं
स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने के
कारण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी-
गण के प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
के खारिज किया जाकर अप्रार्थीगण को
अस्थाई निषेधाज्ञा से पृथक् किया
किया जाना न्यायोचित है। अतः
प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को
मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय
से अस्थाई निषेधाज्ञा के पृथक् किया
किया जाता है कि ग्राम भावता रेज तहसील
दौसा स्थित खसरा नं. 3518 रकबा 0.25 है. भूमि के
मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण फैसल
शुमारी में जाकर से कायम है तथा बाद तकमील पश्चात
लेखपाल द्वारा मूल वाद के निपटान है। निर्देश राजस्व
लोक अदालत के माननीय अधिवक्ता के मुताबिक आदेश में लिखवाया
जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौसा